प्रारुप (ख)
देखिए नियम 9(3) (4) और (6)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

कमांक आर.ए./13/166 दिनांक 04/10/13

संपरिवर्तन आदेश

स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूँ जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	**स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूँ जिला** जयपुर ।
2. क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नही ।
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	गोविन्दगढ, गोविन्दगढ, चौमूँ।
(ख) भूमि का खसरा स0 एवं प्रत्येक ख0 स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 ।
(ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में) टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए,राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रुप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 मे से कुल 0.25 है0 अर्थात कुल 2500 व0मी0।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमीयम की दर	56.46/– प्र0व0मी0
6. चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. 84 दिनांक 27.06.2013 जमा दिनांक 27.06.2013 से रु0 25000/–एव चा.न. 216 दिनांक 13.09.2013 जमा दिनांक 13.09.2013 से रु0 116150/– कुल रु0 141150/–
7. चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	––
8. चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	––
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	––
10. अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	रूपान्तरित ख0न0 की भूमि मे [illegible] भा0स0का0प्रा के मापदण्डानुसार [illegible]

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भुमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
5. आवेदित भूमि मे से एच0टी0 लाईन गुजर रही है जिसे अन्यत्र स्थान्तरित करवा कर ही रूपान्तरित भूमि का अकृषिक उपयोग किया जा सकेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का अकृषि उपयोग नही किया जावेगा ।
7. आवेदित भूमि मे से इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का राज्य पक्ष मे निशुल्क समर्पण करना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प0 6 (6) राज–6/92/पार्ट/33 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध मे जारी अन्य परिपत्रो/निर्देशो की सभी शर्ते लागू होगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर

प्रतिलिपि:

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

कमांक सम /13/ 167-170 दिनांक 04/10/13

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व/रा. ले.) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमूं।
3. ग्राम पॅचायत गोविन्दगढ पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. आवेदक स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौमूं (जयपुर)